न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 253/2015

1 हरिराम पुत्र टोरूराम।
2 विश्वनाथ पुत्र टोरूराम।
3 गोमाराम पुत्र टोरूराम।
4 रामलाल पुत्र टोरूराम।
5 बनारसी देवी स्त्री महावीर प्रसाद पुत्र टोरूराम।
6 जगदीश पुत्र महावीर प्रसाद।
7 बाबूलाल पुत्र टोरूराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण कस्बा फतेहपुर मोहल्ला तेलीयान भातरा की बगीची तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गांगियासर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2 मोतीलाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी भरतिया अस्पताल के पास फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
3 गंगाधर पुत्र कुशालाराम जाति जाट निवासी बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का फतेहपुर।
5 तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर।
6 राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर सीकर।
7 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल फतेहपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 विजय कुमार शर्मा पुत्र आनन्दीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 24 पुस्तकालय के पास चुरू।
9 गणेश पुत्र महावीर प्रसाद।
10 बालूराम पुत्र महावीर प्रसाद समस्त जाति कुम्हार निवासीगण फतेहपुर मोहल्ला तेलीयान भातरा की बगीची तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर
दिनांकित 26.12.2014 बउनवानी दावा राजेन्द्र कुमार
बनाम मोतीराम आदि वाद संख्या 102/2013

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 31-1-23

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 102/2013 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने कस्बा फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 1178/3 रकबा 1.26 हैक्टेयर के सन्दर्भ में उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 5 व 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जिस दिन अपीलाधीन वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के समक्ष दायर किया गया था उस दिन विवादित आराजी खसरा नम्बर 1178/3 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके कस्बा फतेहपुर जिला सीकर की खातेदारी टोरूराम पुत्र रूड़ाराम कोम कुम्हार सा0 देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी। दावा दायरी से पूर्व ही टोरूराम का देहान्त हो जाना ही स्वीकृत तथ्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन वाद में तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा टोरूराम के जायंदा वारिसों में से एक भी वारिस को जानबुझकर अपीलाधीन वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। बल्कि जानबुझकर टोरूराम के पुत्र रामलाल के एक पुत्र मोतीराम से दुरभि संधि करके उसे गलत रूप से टोरूराम का पुत्र अंकित करके उससे दुरभि संधि करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपने हक में विचारण न्याायालय से पारित करवा ली है। कानूनन टोरूराम के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन वाद चलने योग्य ही नही था। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन वाद केवल मात्र एक ही आधार तथाकथित लिखावट दिनांक 20.03.1965 पर आधारित था। स्वीकृत रूप से तथाकथित लिखावट प्रदर्श 3ए

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपंजिकृत एवं समुचित रूप से मुद्रांकित नहीं है। जिसके कारण उक्त लिखावट साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्श 3ए को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की गयी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि कृषि भूमि के मामलों में अपंजीकृत लिखावट पर इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय के समक्ष खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय नहीं होता है। अपीलाधीन वाद की एकमात्र आधार लिखावट प्रदर्श 3ए सर्वथा जाली, फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज मात्र है। अपीलांट्स के पूर्वज टोरूराम द्वारा कभी भी निष्पादित नहीं की गयी थी। न ही रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त लिखावट के साबित किया गया तथा न ही तथाकथित लिखावट प्रदर्श 3ए के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2014 के माध्यम से कानूनी प्रावधानों के विपरित रेस्पोडेंट संख्या के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित किये जाने निमित तहसीलदार फतेहपुर से रिपोर्ट लिये जाने बाबत आदेश पारित किया गया। तहसीलदार फतेहपुर द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में स्वंय द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया तथा न ही रिपोर्ट तैयार की गयी, बल्कि पटवारी हल्का फतेहपुर द्वारा भेजी गयी एकतरफा रिपोर्ट को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया। जिससे भी अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होना तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा होना प्रमाणित नहीं है तथा न ही मौका रिपोर्ट को निर्णय का आधार ही बनाया जा सकता है। भूमि खसरा नम्बर 1178/3 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके कस्बा फतेहपुर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 9 व 10 की पैत्रिक कृषि भूमि है, जिस पर अपीलांट्स के अलावा अन्य किसी का कब्जा, सम्बंध, सरोकार नहीं है। यदि दावा संख्या 12/2013 राजेन्द्र कुमार बनाम मोतीराम आदि में वादी द्वारा अपीलांट्स को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता तो अपीलांट्स प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत करके समुचित पैरवी करके विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते, इस कारण वादी का दावा डिक्री नहीं हो पाता तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट्स के कानूनी अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं पड़ता। चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री दावा संख्या 102/2013 दिनांकित 26.12.2014 निरस्त नहीं होती है तो इससे अपीलांट्स के कानूनी हितों पर कुठाराघात होगा एवं विपरित प्रभाव पडेगा। उक्त प्रकरण में अपीलांट्स के सम्पति सम्बंधि सारवान हित निहित है। विचारण न्यायालय के निर्णय की अपीलांट को जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादी राजेन्द्र द्वारा अपीलांट के पिता टोरूराम द्वारा निष्पादित तथा कथित अपंजिकृत लिखावट के आधार पर उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। दावा दायरी के दिन टोरूराम का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा टोरूराम के विधिक वारिसान अपीलांट हरिराम, विश्वनाथ, गोमाराम, रामलाल, बनारसी, जगदीश, बाबूलाल को पक्षकार संयोजित किये बिना वाद वादी डिक्री करवाया है। टोरूराम के विधिक वारिसान होने के कारण अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नही किया गया है, अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को पूर्व से जानकारी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाब

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धूप्रसिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर